न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—　　　उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—　　　80 / 2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनाम:—

पूनमचंद पुत्र चंदगी राम स्वामी (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—न्यू चंदगी राम मिष्ठान भंडार, रानी बाजार, नोहर, तहसील नोहर,
जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 16, मोहल्ला जोगीआसन, जोगीआसन, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री चन्द्र कैलाश स्वामी, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णय:—

दिनांक :—19.03.2026

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 08.03.2025 को समय 01.20 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—न्यू चंदगी राम मिष्ठान भंडार, रानी बाजार, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर पूनमचंद पुत्र चंदगी राम स्वामी (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 16, मोहल्ला जोगीआसन, जोगीआसन, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते खाद्य पदार्थ Dahi (Loose) तादाद करीब 04 लीटर एक भगोने में पॉलीपैक में फ्रीज में विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अमानकता का शक होने पर विक्रेता से 04 लीटर में से 800 एम.एल. Dahi (Loose) अच्छी तरह हिला मिलाकर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के Dahi (Loose) में 16—16 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर विक्रेता को उक्त Dahi (Loose) के खरीद मूल का 60/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 800 एम.एल. Dahi (Loose) को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके—3887 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3887 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 288 दिनांक 19.03.2025 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/4231–32 दिनांक 27.03.2025 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये जिन्होंने समस्त कागजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। लिखित अनुमति संलग्न परिवाद है। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Dahi (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dahi (Loose) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव करते हुये बहस की गई कि अप्रार्थी एक अत्यंत छोटा खाद्य व्यवसायी है, जो रानी बाजार नोहर में एक छोटी–सी मिष्ठान्न/दूध की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। वर्तमान प्रकरण खाद्य पदार्थ दही से संबंधित है जिसे जांच के केवल Substandard पाया जगया है। नमूने में हानिकारक या मिलावटी पदार्थ जैसे स्टार्च, यूरिया, चीनी या न्यूट्रलाइजर नहीं पाया गया। अभियुक्त दही का निर्माणकर्ता नहीं है। अभियुक्त दही वीटा (सरकारी/अधिकृत डेयरी सप्लायर) से खरीदकर स्वयं साधारण पैकिंग में ग्राहकों को 10 रूपये प्रति पैक की छोटी मात्रा में विक्रय करता है। अभियुक्त एक अल्प शिक्षित एवं साधारण छोटा दुकानदार है तथा उससे किसी प्रकार की जानबूझकर कानून उल्लंघन की मंशा नहीं थी। जो भी कमी पाई गई है, वह अनजाने में एवं बिना दुर्भावना के हुई है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रथम मामला है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। उस पर दुकान का किराया, बिजली बिल एवं पारिवारिक खर्चों का बोझ है अतः वह भारी जुर्माना वहन करने की स्थिति में नहीं है। आरोपित अपराध कम्पाउंडेबल प्रकृति का है, जिससे लोक स्वास्थ्य को कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं हुआ है तथा यह धारा 51, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत केवल जुर्माने से दंडनीय है। अप्रार्थी वीटा से दही लेकर 10 रूपये की छोटी पैकिंग में बेचता हूं मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष यह आश्वासन देता है कि भविष्य में एफएसएसए के सभी मानकों का पूर्ण पालन करूंगा, खाद्य पदार्थों का विक्रय विधि अनुसार ही करेगा एवं इस प्रकार की त्रुटि पुनः नहीं होगी। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त अपराध को कम्पाउंड करने एवं न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने की प्रार्थना की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस में निवेदन किया कि उक्त दही लूज पॉलीपैक में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Dahi (Loose) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Dahi (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/–(अखरे रूपये एक लाख मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़